टी०ए० मिस केस सं० 348/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
05-02-2021		

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका **सुनीता लकड़ा, पिता/पति – स्व० सुरेश लकड़ा, ग्राम– कुम्हार टोली**, थाना– **सदर चाईबासा**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो**, थाना नं0– **650**, खाता न0– **256**, प्लॉट न0– **2854**, रकवा– **$0.12\frac{1}{2}$** एकड़ भूमि क्रेता **अजय खालखो, पिता/पति– माँगा खालखो, ग्राम– सुफलसाई चाईबासा**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के पति के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 47/1989–90 दिनांक 22.07.1989 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत होकर है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1323**,दिनांक **24.12.2020** के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **अजय खालखो, पिता/पति– माँगा खालखो, ग्राम– सुफलसाई चाईबासा**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **3,00,000.00/–(तीन लाख रुपये) मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **2.50** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **सुनीता लकड़ा, पिता/पति – स्व० सुरेश लकड़ा, ग्राम– कुम्हार टोली**, थाना– **सदर चाईबासा**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो**, थाना नं0– **650**, खाता न0– **256**, प्लॉट न0– **2854**, रकवा– **$0.12\frac{1}{2}$ एकड़**, भूमि को क्रेता **अजय खालखो, पिता/पति– माँगा खालखो, ग्राम– सुफलसाई चाईबासा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है।

लेखापित

5/2

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

05/02/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

RajRamanGope

Scanned with CamScanner